न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शंकरलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या –: 54 / 2025 (किशनगढ)

रिमाण्ड 14/01/25

	श्री आशिष जैन	
14.01.2025	शंकरलाल बनाम राजस्थान सरकार (2025 / 54) यह अपील श्री आशिष ज़ैन एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 237 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील की प्रति विद्वान राजकीय अभिभाषक को दी गई। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 16.10.2020 को अभिभाषक प्रार्थी को सुनकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 खारिज कर दिया गया तथा प्रकरण शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नियत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.11.2024 को वकील प्रार्थी द्वारा एक ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र को अभिभाषक उभयपक्ष को सुना जाकर यह कहते हुए खारिज किया गया कि वादअधीन भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जवाब हेतु विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को निर्देशित करना उचित समझते है। **अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner